‘पृथ्वीराज नगर में हाईटेंशन लाइन के नीचे पिछले 10 वर्षों में 800 घर बने कैसे?’

हाईकोर्ट ने 12 अगस्त की अगली सुनवाई पर जेडीए के ज़ोन18-19 में गत दस वर्षों में पदास्थापित रहे प्रवर्तन अधिकारियों की सूची और उनके मौजूदा पद का ब्यौरा मांगा

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 30 जुलाई। राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर में हाईटेंशन लाइन के नीचे 800 से ज्यादा घर और 200 दुकानें बने होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने जेडीए के अधिवक्ता को कहा है कि जेडीए के पीआरएन ज़ोन 18 व 19 में बीते 10 साल में तैनात हुए अफसरों का विवरण और उनके मौजूदा पदस्थापन की जगह भी बताए।

इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह 12 अगस्त तक शपथ पत्र पेश कर प्रवर्तन अधिकारी का बयान सत्यापित करें कि यहां हाईटेंशन लाइनों के नीचे बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गए हैं। एक्टिंग सीजे एस.पी. शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश साहेब सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। साहेब सिंह की ओर से अदालत में अधिवक्ता रामरख शर्मा पेश हुए थे।

- **जेडीए की ओर से अदालत में कहा गया कि, अगली सुनवाई पर अधिकारियों की जानकारी के साथ इन अतिक्रमणों की फोटो सहित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करेंगे।**
- **जेडीए प्रशासन ने माना कि अजमेर रोड से वंदे मातरम् रोड तक करीब डेढ़ किमी. क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन कॉरिडोर में 800 मकान व 200 दुकानें बनी हुई हैं, इनमें से 206 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है।**

सुनवाई के दौरान जेडीए के स्थानीय प्रवर्तन अधिकारी गंगाराम अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने गत 24 अप्रैल को ही कार्यभार संभाला है। जबकि पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइनों के आसपास और उसके नीचे करीब 800 मकान और 200 दुकानें बनी हुए हैं।

जेडीए के ज़ोन उपायुक्त की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि यहां अधिकांश निर्माण 10 साल से भी अधिक पुराने हैं।

जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि करीब 206 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जा चुका है। इसके साथ-साथ मौके पर हुए नए अतिक्रमणों को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। अजमेर रोड से वंदे मातरम रोड़ तक करीब डेढ़ किमी एचटी लाइन कॉरिडोर में कराए सर्वे में करीब 800 मकान व 200 दुकान प्रभावित पाई गई हैं। मौजूदा प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में कोई बड़ा नया अतिक्रमण नहीं हुआ है।

इस पर अदालत ने 10 साल में यहां तैनात प्रवर्तन अधिकारियों की विस्तृत जानकारी मांगते हुए जेडीए को मौजूदा हालात की रिपोर्ट देने को कहा है। जनहित याचिका में अधिवक्ता रामरख शर्मा ने बताया कि दोनों जोन में हाईटेंशन लाइन के दोनों ओर 60 फीट की सेक्टर रोड है। कई लोगों ने यहां 30 फीट तक अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की।

वंदे मातरम् विधेयक लोकसभा से भी पारित

नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को शोर-शराबे के बीच गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक एक दिन पहले ही राज्यसभा से पारित हुआ था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण और सम्मान प्रदान करना है।

सरकार का कहना है कि यह विधेयक भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाओं को सशक्त करेगा। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राय ने कहा कि यह केवल विधायी संशोधन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता है।

- **यह विधेयक ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।**

रामगढ़ बाँध के बहाव क्षेत्र के सभी एनीकट हटाएं- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बहाव क्षेत्र में एक भी सबमर्सिबल पंप नहीं होना चाहिए

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बांध के बहाव क्षेत्र में मौजूद सभी एनीकटों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने कहा कि क्षेत्र में सबमर्सिबल पंप भी नहीं होने चाहिए। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश रामगढ़ बांध सहित, प्रदेश के अन्य जल स्त्रोतों में अतिक्रमण से जुड़े मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए।

अदालत ने कहा कि बांध और उसमें पानी लाने वाली नदियों को मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बांध के कैचमेंट एरिया में किन लोगों ने अतिक्रमण किया है और इन्हें हटाने के लिए क्या किया गया। अदालत ने कैचमेंट एरिया की जमीन और यहां बने फार्म हाउस व होटलों का ब्यौरा भी मांगा है। खंडपीठ ने जयपुर व कोटपूतली कलेक्टर को 13 अगस्त को रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि रामगढ़ बांध में पानी लाने वाली नदियों में पानी क्यों नहीं आ पा रहा।

- **हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करके यह बताने को कहा है कि कैचमैंट एरिया में किन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं। अदालत ने कैचमैंट एरिया की जमीन और वहाँ बने फार्म हाउस व होटलों का ब्यौरा भी मांगा।**

अदालती आदेश के पालन में जयपुर कलेक्टर वीसी के जरिए उपस्थित हुए। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में आमेर एसडीओ का शपथ पत्र पेश किया और बताया कि कुल 625 रेफरेंस थे, जिनमें से 404 निस्तारित हो चुके हैं और बाकी लंबित चल रहे हैं। जिन केसों का निस्तारण हो चुका है, उनकी जमीन भी राज्य सरकार में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा, बांध मामले में दो कमेटियां बनी हुई हैं। एक कमेटी की 14 व दूसरी की 17 मीटिंग हो चुकी हैं। इस पर खंडपीठ ने एजी से कहा कि वे शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार एक विस्तृत शपथ पत्र पेश कर बताए कि कितने अतिक्रमण हटाए थे और वे किसके थे। इस दौरान न्याय मित्र डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि रामगढ बांध में पानी लाने का मुख्य जरिया बाणगंगा नदी है, जो विराटनगर, शाहपुरा व अन्य जगहों से होती हुई बांध में पानी लाती है। इसके बहाव क्षेत्र में कई फार्म हाउस, रिसोर्ट व होटल बन गए हैं और बहाव क्षेत्र में बने एनीकटों के पीछे भी मिट्टी जमा हो गई है, जिससे पानी का बहाव क्षेत्र में फ्लो नहीं रहता।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रावण मास के प्रथम दिन मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि एवं आमजन के सुखमय जीवन की कामना की।

दिल्ली सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आंखों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

याचिका में कहा गया है कि पैलेट गन को भले ही कम घातक हथियार बताया जाता हो, लेकिन इससे बड़ी संख्या में धातु के छर्रे निकलते हैं। इससे आंखों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान का खतरा रहता है। पैलेट गन का इस्तेमाल संविधान के तहत न्यायसंगत बल प्रयोग की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

आठ जिलों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उल्लेखनीय है कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित और किफायती समाधान की व्यवस्था है। इसमें आपसी सहमति से निर्णय किए जाते हैं, जिससे आमजन के समय और धन दोनों की बचत होती है।

‘बिना “लोगो” व विज्ञापन वाले कैरीबैग का भुगतान वसूल सकते हैं दुकानदार’

राज्य उपभोक्ता आयोग ने डी-मार्ट रेवन्यू मार्केट लि. बनाम शेखर कुमार स्वर्णकार व कपिल देव सोनी के खिलाफ दायर 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने फैसला दिया है कि दुकानदार, उपभोक्ताओं से कानूनी तौर पर उन “कैरीबैग” का भुगतान ले सकता है, जिन पर कोई विज्ञापन अथवा किसी कंपनी का “लोगो” नहीं छपा हुआ हो।

उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला डी-मार्ट रेवन्यू मार्केट लि. बनाम शेखर कुमार स्वर्णकार व कपिल देव सोनी के खिलाफ दायर 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में डी मार्ट की ओर से अधिवक्ता हेमांग कुमावत पैरवी के लिए पेश हुए थे। यह फैसला आयोग की न्यायाधीश उर्मिला वर्मा व करूणा जैन की पीठ ने सुनाया है।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, शेखर कुमार स्वर्णकार ने 862 रुपए का सामान डी मार्ट से 25 जुलाई 2019 को खरीदा था, जब उन्होंने सामान लिया तो एक कैरीबैग भी लिया, जिसका अतिरिक्त शुल्क 6 रुपए डीमार्ट ने उनके बिल में जोड़ा था।

- **डी-मार्ट की ओर से अधिवक्ता हेमांग कुमावत ने बताया कि, उनकी नीति भी है कि, अगर उपभोक्ता कैरीबैग नहीं रखना चाहते तो कैरीबैग लौटा दें और भुगतान वापस कर दिया जायेगा। परंतु उपभोक्ताओं ने ना तो यह बैग लौटाया और ना ही दिए जाने की शिकायत की।**

दूसरी ओर कपिल देव सोनी ने 2 अक्टूबर 2019 को 846.72 रुपए का सामान खरीदा था, उनसे भी 5.50 रुपए कैरीबैग के वसूले गए थे। कपिल देव ने इससे पहले 21 मई 2019 को जब 728 रुपए का सामान खरीदा था, तब उनसे कैरीबैग के 6 रुपए लिए गए थे। इन तीनों मामलों में उपभोक्ता ने पहले उपभोक्ता जिला मंच का दरवाजा खटखटाया, जहां से उपभोक्तओं के पक्ष में फैसला हुआ और तीनों मामलों में डी मार्ट को 3-3 हजार रुपए प्रति मामले के मानसिक उत्पीड़न के बदले और 2000 रुपए कानूनी खर्च के लिए भुगतान के आदेश दिए थे। ये आदेश 30 जून 2025 को दिए गए थे।

जिला उपभोक्ता मंच के इस फैसले के विरोध में डी-मार्ट की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की गई, जहां उपभोक्ता आयोग को बताया गया कि जो कैरीबैग उपभोक्ताओं को दिए गए थे, उनमें कोई विज्ञापन लोगो नहीं थे, बल्कि एक बार कोड था, जिस पर बैग की कीमत अंकित थी। डी-मार्ट की ओर से यह भी बताया गया कि उनकी नीति भी है कि अगर उपभोक्ता कैरीबैग नहीं रखना चाहते तो कैरीबैग लौटा दें और भुगतान वापस कर दिया जायेगा। परंतु उपभोक्ताओं ने न तो यह बैग लौटाया और न यह शिकायत दी थी कि उन्हें जबरन यह कैरीबैग क्यों दिया जा रहा है।

इस पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने कानून को देखते हुए फैसला दिया है कि दुकानदार, उपभोक्ताओं से कानूनी तौर पर उन “कैरीबैग” का भुगतान ले सकता है, जिन पर कोई विज्ञापन अथवा किसी कंपनी का “लोगो” नहीं छपा हुआ हो।

एक तरफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की शिकायत भी नहीं करतीं।

इन टिप्पणियों के बाद भारी आक्रोश फैल गया। केरल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर इस बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये मोहनदास के निजी विचार हैं तथा संघ ने उनकी निंदा की।

वहीं भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जेन ज़ेड प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए उन्हें ''जनरेशन गटर'' कहा। उन्होंने उनके वीडियो को ''उल्टी आने लायक'' और ''बदसूरती से भरा हुआ'' बताया तथा उनकी तुलना गंदगी फैलाने वाले तिलचट्टों से करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

खड़गे की मनुस्मृति पर टिप्पणी ने राज्यसभा में हंगामा मचाया

खड़गे ने कहा था कि मनुस्मृति ने शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा दिया

नई दिल्ली, 30 जुलाई। एंटी पेपर लीक बिल को राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा में पेश किया। इस बिल पर चर्चा की शुरुआत राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। खड़गे ने कहा कि 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ।

उन्होंने सरकार ने पेपर लीक और प्रदर्शन के दौरान छात्रों की बात नहीं सुनी। बाद में जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया। ये पहले हो गया होता तो छात्रों को लाठी नहीं खानी पड़तीं। खड़गे ने इस दौरान मनुस्मृति को लेकर चर्चा की, जिसके चलते राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

- **खड़गे की टिप्पणी पर इतना अधिक विरोध व हंगामा हुआ कि राज्यसभा की बैठक तीन बजे तक स्थगित करनी पड़ी।**

राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मनुस्मृति के बारे में की गई टिप्पणी ने विवाद को बढ़ ाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति ने शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ ावा दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई।

जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ ावा देती है, राज्यसभा में भारी हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने सदन में “माफी माफी” के नारे लगाने शुरू कर दिए, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खड़गे द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।

इस पर स्पीकर ने कहा कि खड़गे की मनुस्मृति पर की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटा दी जाएंगी।

बिना निर्वाचित हुए छः माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समय तक मंत्री बने रहने की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका इस संवैधानिक प्रश्न से जुड़ी है कि राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद, दीपक प्रकाश का बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में बने रहना संविधान के अनुरूप है या नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया था। याचिका में बिहार में नई सरकार बनने के बाद दीपक प्रकाश की मंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार, दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जबकि उस समय भी वे राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे।

15 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो गई थी। इसके बाद 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया गया, जबकि तब भी वे न तो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं विधान परिषद के। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(4) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विधायक नहीं है, अधिकतम छह महीने तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि के भीतर उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है- ''यदि कोई मंत्री लगातार छह महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा।''दीपक प्रकाश लगातार छह महीने तक मंत्री नहीं रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में वे 4 महीने 26 दिन मंत्री रहे। इसके बाद 22 दिनों का अंतर रहा और फिर 7 मई से उन्हें दोबारा उसी मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया। इस तरह दोनों कार्यकालों को मिलाकर उनका कुल कार्यकाल छह महीने से अधिक हो चुका है।

मध्य प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात अभियुक्त अनिल मिश्रा उसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वह उनसे जाकर मिले। इस दौरान मार्च माह में वह भोपाल जाकर अभियुक्त से मिली। अभियुक्त ने पति की मदद का प्रलोभन देकर ऑफिसर मैस में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा, अभियुक्त ने उससे कई बार अपने बैंक खाते में रुपए भी ट्रांसफर कराए। इसके साथ ही अभियुक्त ने उसके साथ जोधपुर और मुंबई सहित अन्य जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। अप्रैल, 2014 में अभियुक्त ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी अश्लीलता की।

दीपके ने गृह मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे पहले अभिजीत दीपके ने कहा कि जिस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला किया गया और उनका खून बहाया गया, वह गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बिना संभव नहीं था।

दीपके की यह मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शाह पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करने के एक दिन बाद आई। दीपके ने कहा कि वह राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं भी मानता हूं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।”

सीजेपी को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए दीपके ने कहा, “यदि गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथ में होने के बावजूद हमें विदेशी फंड मिल रहा है, तो यह भी उनकी विफलता है। फिर आप किस तरह के चाणक्य हैं? ऐसी स्थिति में भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।”

दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पत्थरबाजी की पूरी घटना की साजिश रची। उनका दावा था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर पुलिस एक ट्रक भरकर पत्थर और एक क्षतिग्रस्त वाहन लेकर आई, ताकि यह दिखाया जा सके कि पुलिस की कार्रवाई हिंसा के जवाब में की गई।

उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस ने ही पत्थरबाजी करवाई। भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने पत्थर फेंके और इसका दोष छात्रों पर मढ़ दिया गया।”

दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पार्टी में शामिल होने के लिए धमकाया। उन्होंने कहा, “मुझे धमकी दी गई। मेरे माता-पिता को धमकी दी गई है कि वे मुझे भी भाजपा में शामिल होने के लिए राजी करें। हमें कहा गया कि या तो पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।”

वहीं, भाजपा नेता केशव उपाध्ये ने दीपके पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि उन्हें राहुल गांधी की राह पर चलना है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “वे एक आंदोलन का चेहरा थे। भाजपा सरकार ने उनकी मांगें मानते हुए पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे राजनीति कर रहे हैं। यदि उन्हें राहुल गांधी की लाइन पर चलना है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए।”

भाजपा ने दीपके और उनके परिवार को धमकी दिए जाने के सभी आरोपों से इनकार किया।

सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी तीन प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शामिल होंगे

इसकी शुरुआत होगी किर्गिस्तान में होने जा रहे एससीओ समिट से, जिसमें शामिल होने प्र.मंत्री मोदी किर्गिस्तान जाएंगे

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 जुलाई। भारत 2026 के सबसे व्यस्त कूटनीतिक चरणों में से एक की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिर्फ एक महीने में तीन बड़े-बड़े मल्टीलेटरल कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी तीन दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर भी जाएंगे। इस दौरान वे द्विपक्षीय बैठकों और भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें “मैलबर्न मीट्स मोदी” कार्यक्रम भी शामिल है।

भारत 2026 के सबसे व्यस्त कूटनीतिक चरणों में से एक का गवाह बनने जा रहा है। सितंबर महीने की शुरुआत किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में पी.एम. मोदी की मौजूदगी से होगी।

इसके बाद, नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) को भी संबोधित करेंगे। यह व्यस्त कार्यक्रम दिखाता है कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच, नई दिल्ली अपने अंतरराष्ट्रीय संपर्क और कूटनीतिक पहुंच को सक्रिय रूप से मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।

- **एससीओ (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन) में चीन, रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान शामिल हैं।**
- **एससीओ समिट के बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन होगा, उसके बाद प्र.मंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, जहाँ वे यूनाईटेड नेशन्स जनरल असैम्बली को संबोधित करेंगे।**

यह व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि एससीओ में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं।

जयशंकर ने आसियान बैठक में चीन के वांग यी से कहा, “सामान्य सम्बन्धों के लिए सीमा पर शान्ति जरूरी (है)।” बांग्लादेश द्वारा भारत के प्रवक्ताओं को चुनने पर सवाल क्यों उठे?

शुरुआत में एससीओ की स्थापना सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग के उद्देश्य से की गई थी। बाद में संगठन का दायरा बढ़ाकर संपर्क, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन यूरेशिया की प्रमुख शक्तियों के साथ बातचीत का अवसर होगा। इसमें आतंकवाद, उग्रवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके दो सप्ताह से भी कम समय बाद, 12 और 13 सितंबर को भारत, अपने 2026 के अध्यक्षीय कार्यकाल के तहत, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

इस वर्ष भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” थीम को अपनाया है।

ब्रिक्स की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने की थी। समय के साथ, इस समूह का काफी विस्तार हुआ है।

ऐसा लगता है, ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व्यक्त किया था और संभवत: यही ईरान की हालिया कार्रवाइयों की सबसे बड़ी वजह थी। ईरान ने जीपीएस बंद कर होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे तीन वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला किया था, जिसके बाद उन्हें कुछ नुकसान हुआ और उन्हें लौटना पड़ा।

वास्तव में, समुद्र के उस पार स्थित अपने पड़ोसी ओमान के साथ ईरान के गहरे मतभेद हैं। ओमान चाहता है कि यह समुद्री मार्ग सभी के लिए खुला रहे, जबकि ईरान उस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। इस मुद्दे पर सभी खाड़ी देश ओमान के पक्ष में हैं, क्योंकि यदि स्थायी नियंत्रण ईरान को मिल जाता है, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएँ ईरान पर निर्भर हो जाएँगी।

दूसरी ओर, ईरान ने होर्मुज़ पर नियंत्रण को अपनी प्रतिष्ठा और रणनीतिक बढ़त का विषय बना लिया है। युद्ध से पहले यह जलमार्ग सभी देशों के लिए समान रूप से खुला था और हर राष्ट्र को यहाँ से आवागमन का अधिकार प्राप्त था। लेकिन युद्ध के बाद ईरान को यह एहसास हुआ कि वह इस संकरे समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर न केवल अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ा सकता है, बल्कि आय का एक स्थायी स्रोत भी हासिल कर सकता है।

यदि यह शक्ति उससे छिन जाती है, तो यह संदेश जाएगा कि ईरान अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने झुक गया। विशेष रूप से इसे सऊदी अरब के प्रति रियायत के रूप में देखा जाएगा, जो प्रमुख सुन्नी पावर है और सबसे बड़े शिया राष्ट्र ईरान का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी भी। यह वैचारिक और सामरिक विभाजन इतना गहरा है कि इसे आसानी से पाटा नहीं जा सकता।

ऐसे में, कई दिनों से जारी संघर्ष के बाद अमेरिका का दबाव ईरान पर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके सैन्य संसाधन और हथियारों का भंडार भी तेजी से घट रहा है।

अमेरिका के तीव्र होते हमले ईरान पर भारी दबाव डाल रहे हैं, चाहे ईरानी नेतृत्व कितनी भी दृढ़ता का प्रदर्शन करने की कोशिश करे।

इन कठिन परिस्थितियों में ईरान अकेले ही कई दिशाओं से शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का सामना कर रहा है। पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात के पक्ष में दिखाई देता है कि होर्मुज़ ईरान की पकड़ से मुक्त हो जाए।

यदि अपेक्षाकृत शांत अवधि के बाद इज़रायल एक बार फिर नई सैन्य शक्ति और नई रणनीति के साथ मोर्चा खोलता है, तो यह ईरान के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में ईरान के लिए इज़रायल की सैन्य कार्रवाइयों का पहले की तरह प्रभावी ढंग से जवाब देना संभवत: कठिन होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600